8-8-22	वकील आवेदक उपस्थित। पेश हो निर्णय प्रकरण की निगरानी जारी कार्यवाही पत्रावली लिया गया। पत्रावली निर्णयानुसार होकर नकल से काम हो। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:36:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखंड अधिकारी करौली

मुकदमा नं. 253/2021 / 10/2022

तारीख रजू. 6-4-2022

उनवान

1. गुलाब खॉ पुत्र फूल खॉ आयु 70 साल
2. गबरू
3. मन्नू
4. बब्बू
5. साबू

पिसरान कमरूददीन

6. मछला
7. सकीला

पुत्रीगण कमरूददीन , सभी जाति मुसलमान निवासी गॉवडा गुर्जर तह0 हिण्डोन जिला करौली

(सायलान)

बनाम

1. बाबूखॉ पुत्र फूलखॉ आयु 68 साल जाति मुसलमान निवासी गॉवडा गुर्जर तह0 हिण्डोन जिला करौली
2. तहसीलदार तहसील हिण्डोन जिला करौली

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 8-8-22

सूक्ष्म में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नम्बर 569 रक्वा 0.26 हैक्टैयर तथा खसरा नम्बर 570 रकवा 0.36 हैक्टेयर कुल रकवा 0.62 हैक्टेयर वॉके ग्राम गॉवडा गुर्जर तह0 हिण्डोन जिला करौली में स्थित है । उक्त [illegible] सायलान एवं गैरसायल नं. 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात स्थित है जिसमें [illegible] नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा, सायलान नम्बर 2 ता 7 एवं उसकी मॉ सकूरिन का 1/3 हिस्सा [illegible] 1 का 1/3 हिस्सा है । आराजी मुतजिका प्रार्थना पत्र में सायलान नम्बर 2 ता 7 की [illegible] सकूरिन का स्वर्गवास हो चुका है , जिसका वर्तमान जमावंदी में बतौर खातेदारी 1/21 हिस्सा दर्ज है । सायलान नं. 2 ता 7 की मॉ सकूरिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:36:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Scanned with CamScanner

स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उसके हिस्से की खातेदारी सायलान नं. 2 ता 7 के नाम दर्ज होनी चाहिये थी , लेकिन स्वर्गवास हो जाने के पश्चात सायलान नं. 2 ता 7 की मॉ सकूरिन का वर्तमान जमावंदी में बतोर खातेदार नाम दर्ज चला आ रहा है । इसलिये सायलान नं. 2 ता 7 अपनी मॉ सकूरिन के हिस्से की भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वर्तमान में सायलान नं. 2 ता 7 अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/3 पंर बतोर खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे है । विवादित आराजीयात पर सायलान एवं गैरसायलान नम्बर 1 ने मौके पर बहामी बटवॉरा कर रखा है तथा सायलान एवं गैरसायल नं. 1 अपने अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे है इस प्रकार उक्त आराजीयात का मौके पर सायलान एवं गेरसांयल के मध्य बहामी बटवॉरा हो रहा है लेकिन रिकॉर्ड में विधिवत बटवॉरा नही हो रहा है । गैरसायल नं. 1 उक्त विवादित आराजीयात को दीगर व्यक्तियो को बेचने का कह रहा है एवं बटवॉरा कराने को तैयार नही है तथा बिना बटवॉरा किये ही उक्त भूमि का विकय करने की फिराक में है । यदि गैरसायल नं. 1 अपनी उक्त वेजा कार्यवाही में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी , जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है । अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि आराजीयात खसरा नम्बर 570 रकवा 0.36 हैक्टेयर कुल रकवा 0.62 हैक्टेयर वॉके ग्राम गॉवडा गुर्जर तह0 हिण्डोन जिला करौली के सायलान के हिस्से एवं कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावे , सालयान को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा गैरसायल नं. 1 बिना बटवॉरा किये विवादित आराजीयात कर रहन वय नही करें तथा ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे सायलान के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पडे , मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिती यथावत बनाये रखे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी गैरसायलान जरिये सम्मन की गई । शक्ति सिंह मीना पुत्र धर्म सिंह मीना निवासी गढी पटटी तह0 हिण्डोन जिला करौली ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैरसायल नं. 1 बाबू खॉ ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 570 रकवा 0.36 हैक्टेयर कुल रकवा 0.62 हैक्टेयर वॉके ग्राम गॉवडा गुर्जर तह0 हिण्डोन को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 2–6–2021 को विकय कर दिया है तथा उक्त विकित भूमि पर शक्ति सिंह मीना का कब्जा करा दिया । केता शक्ति सिंह योम खरीद से ही उक्त भूमि में बाबू खॉ के हिस्से पर बैहेसीयत मालिक केता काबिज व दखील होकर काश्त करता चला आ रहा है , जिससे सायलान का कोई वास्ता किसी प्रकार का नही है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में गैरसायल नं. 3 बनाये जा[illegible] प्रदान करें । प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में वकील सायल द्वारा अपनी सहमति व्यक्त कर[illegible] प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार की [illegible] गैरसायल नं. 3 के रूप में पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:36:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner

पर अंकित किया गया । गैरसायल नं. 1 बाबजूद तामील उपस्थित नही होनें के कारण गैरसायल नं. 1 के विरूद्ध दिनांक 21–4–2022 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

गैरसायल नं. 3 शक्ति सिंह ने अपने जबाब में अवगत कराया कि आराजीयात मुतजिका मद नं. 2 प्रार्थना पत्र में सायल नं. 1 का हिस्सा 1/3 तथा सायल नं. 2 ता 7 का हिस्सा 1/3 व हिस्सा बराबर के तथा गैरसायल नं. 1 हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार रहा है, लेकिन गैरसायल नं. 1 ने अपनी मुतजिका मद नं. 2 प्रार्थना पत्र में अपने सम्पूर्ण 1/3 हिस्से को गैरसायल शक्तिसिंह को अपनी पारिवारिक आर्थिक समस्या समाधान हेतु रूपयो की आवश्यकता होने हेतु बिल ऐवज एक लॉख एक हंजार रूपये. में दिनांक 2–6–2021 को जरिये पंजीकृत वयनामा विक्रय कर दिया और विक्रित भूमि में अपने हिस्से पर गैरसायल शक्तिसिंह का कब्जा करा दिया तथा योम खरीद से ही गैरसायल अपने हिस्से पर क़ाबिज व दखील होकर अपने परिवारजन के सहयोग से भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । सायलान ने तथ्यो को छुपाते हुये गैरसायल नं. 1 द्वारा जरिये पंजीकृत वयनामा गैरसायल शक्तिसिंह को विक्रय की गई अपने 1/3 हिस्से की भूमि का शक्तिसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण को रूकवाने की गरज से तथा विधि विरूद्व तरीके से शक्तिसिंह के स्थान पर गैरसायल नं. 1 के खिलाफ कानून उक्त भूमि का खातेदारी बताते हुये मनगढंत व झूठे तथ्य दर्ज कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

वहस विद्वान अभिभाषक सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है ।

<u>प्रथम द्रष्टया प्रकरंण</u> :– आराजीयात खसरा नंम्बर 569 रकवा 0.26 हैक्टैयर तथा खसरा नम्बर 570 रकवा 0.36 हैक्टेयर कुल रकवा 0.62 हैक्टेयर वॉके ग्राम गॉवडा गुर्जर तह0 हिण्डोन जिला करौली में स्थित है । उक्त आराजीयात सायलान एवं गैरसायल नं. 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात स्थित है जिसमें सायल नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा, सायलान नम्बर 2 ता 7 एवं उसकी मॉ सकूरिन का 1/3 हिस्सा एवं गैरसायल नं. 1 का 1/3 हिस्सा है । आराजी मुतजिका प्रार्थना पत्र में सायलान नम्बर 2 ता 7 की मॉ सकूरिन का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका वर्तमान जमावंदी में बतोर खातेदारी 1/21 हिस्सा दर्ज है । सायलान नं. 2 ता 7 की मॉ सकूरिन का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उसके हिस्से की खातेदारी सायलान नं. 2 ता 7 के नाम दर्ज होनी चाहिये थी, लेकिन स्वर्गवास हो जाने के पश्चात सायलान नं. 2 ता 7 की मॉ सकूरिन का वर्तमान [illegible] खातेदार नाम दर्ज चला आ रहा है । इसलिये सायलान नं. 2 ता 7 अपनी [illegible] भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वर्तमान में सायलान [illegible] 2 ता 7 [illegible] सम्पूर्ण हिस्से 1/3 पर बतोर खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे है । विवादित आराजी [illegible] पर सायलान एवं गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:36:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner

नं. 1 ने मौके पर बहामी बटवॉरा कर रखा है तथा सायलान एवं गैरसायल नं. 1 अपने अपने हिस्से पर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे है इस प्रकार उक्त आराजीयात का मौके पर सायलान एवं गेरसायल के मध्य बहामी बटवॉरा हो रहा है लेकिन रिकॉर्ड में विधिवत बटवॉरा नही हो रहा है । गैरसायल नं. 1 उक्त विवादित आराजीयात को दीगर व्यक्तियो को बेचने का कह रहा है एवं बटवॉरा कराने को तैयार नही है तथा बिना बटवॉरा किये ही उक्त भूमि का विक्रय करने की फिराक़ में है । यदि गैरसायल नं. 1 अपनी उक्त वेजा कार्यवाही में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी । पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड वयनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजीयात का दिनांक 2–6–2021 को सव रजिस्ट्रार हिण्डोन द्वारा रजिस्टर्ड वयनामा गैरसायल नं. 1 बाबूख़ॉ से गैरसायल नं. 3 शक्तिसिंह मीना के हक में कर दिया गया था और तभी से विवादित आराजीयात पर गैरसायल नं. 3 अपने हिस्से 1/3 पर काबिज काश्त है इसलिये प्रथम द्रष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष में होना प्रतीत नही होता है ।

<u>सुविधा का संतुलन</u> :– चूकि खसरा नम्बर 569 रक्वा 0.26 हैक्टैयर तथा खसरा नम्बर 570 रकवा 0.36 हैक्टेयर कुल रकवा 0.62 हैक्टेयर वॉके ग्राम गॉवंडा गुर्जर तह0 हिण्डोन जिला करौली में स्थित है । उक्त आराजीयात सायलान एवं गैरसायल नं. 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात स्थित है जिसमें सायल नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा है जिसको सायल न. 1 द्वारा दिनांक 2–6–2021 को गैरसायल नं. 3 शक्तिसिंह को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा बेचान कर दिया है और तभी से गैरसायल नं. 3 शक्तिसिंह विवादित आरजीयात के हिस्सा 1/3 पर काबिज काश्त है । इसलिये सुविधा का संतुलन का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में होना प्रतीत नही होतां है ।

<u>अपूर्णीय क्षति का बिन्दू</u> :– चूकि खसरा नम्बर 569 रक्वा 0.26 हैक्टैयर तथा खसरा नम्बर 570 रकवा 0.36 हैक्टेयर कुल रकवा 0.62 हैक्टेयर वॉके ग्राम गॉवडा गुर्जर तह0 हिण्डोन जिला करौली में स्थित है । उक्त आराजीयात सायलान एवं गैरसायल नं. 1 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात स्थित है जिसमें सायल नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा है जिसको सायल न. 1 द्वारा दिनांक 2–6–2021 को गैरसायल नं. 3 शक्तिसिंह को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा बेचान कर दिया है और तभी से गैरसायल नं. 3 शक्तिसिंह विवादित आरजीयात के हिस्सा 1/3 पर काबिज काश्त है । शेष सायलान मुताविक आधार अभिलेख अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है । यदि गैरसायल [illegible] नी भूमि में काश्त नही करने दी गईतो इससे उसके हकूको पर भारी कुठाराघात होगा एवं गैरसा[illegible] को अपूर्णीय क्षति होगी । इसलिये अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में होना प्रतीत नही होता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:36:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner

आदेश

प्रकरण में प्रथम द्रष्टया प्रकरण , सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदू सायलान के पक्ष में सावित नही हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बावत खसरा नम्बर 569 रक्वा 0.26 हैक्टैयर तथा खसरा नम्बर 570 रकवा 0.36 हैक्टेयर कुल रकवा 0.62 हैक्टेयर वॉके ग्राम गॉवडा गुर्जर तह0 हिण्डोन खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार हाकर बाद तकमील दावे के साथ इमकिता हो । पत्रावली नम्बर से कम हो ।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)
उपखंड अधिकारी , करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:36:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner